भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1322

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक की आपूर्ति

1322. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसानों को आपूर्ति किए गए नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की किसानों को ऐसी आपूर्ति को रोकने के लिए कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, कीटनाशक अधिनियम, 1964, कीटनाशक नियम, 1971, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 आदि में विभिन्न प्रावधान उपलब्ध हैं।

संबंधित राज्य कृषि विभाग अपने-अपने राज्यों में बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करता है। यदि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का कोई नमूना नकली/घटिया पाया जाता है, तो अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के संबंध में निरीक्षकों द्वारा लिए गए और घटिया पाए गए नमूनों (देश भर में) का विवरण नीचे दिया गया है।

(i) वर्ष 2023-24 के दौरान 133,588 बीज नमूने लिए गए और उनमें से 3,630 नमूने घटिया पाए गए।

(ii) वर्ष 2023-24 के दौरान 1,81,153 उर्वरक नमूनों का विश्लेषण किया गया और उनमें से 8,988 नमूने अमानक पाए गए।

(iii) 80,789 कीटनाशक नमूनों का विश्लेषण किया गया और उनमें से 2,222 नमूने नकली पाए गए।

*****